

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 से राजस्थान में बनेगा बेहतर ईको-सिस्टम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को मिली नई गति

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। राज्य सरकार द्वारा 34 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं, जिससे प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर ईको-सिस्टम बन रहा है। ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण जैसे विभिन्न निर्णयों से प्रदेश का उद्योगिक परिदृश्य बदला है। इसी क्रम में सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लाई गई है, जिससे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास होगा तथा राजस्थान देश-विदेश में विश्वसनीय एवं फ्यूचर रैडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

लॉजिस्टिक्स सुविधाएं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास भी सुनिश्चित होगा।

इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को चार विकास मॉडलों पर विकसित किया जाएगा। मॉडल-ए में रीको द्वारा

आर्वाटित भूमि पर पूरी तरह निजी डवलपर द्वारा विकास किया जाएगा। वहीं, मॉडल-बी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि

■ प्रदेश में बनेंगे औद्योगिक पार्क, बढ़ेगा निवेश-मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री

रीको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगा। इसी तरह, मॉडल-सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा मॉडल-डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा।

नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी।

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत हरित विकास को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक प्रदूषण को भी कम किया जाएगा। इसके लिए सीईटीपी पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये प्रति पार्क) का प्रावधान किया गया है।

इस नीति के तहत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डवलपर्स को सामान्य अवसरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ क्षेत्रफल तक 20 करोड़ रुपये, 100 से 250 एकड़ क्षेत्रफल पर 30 करोड़ तथा 250 एकड़ से

अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार औद्योगिक बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस नीति में भी अवसरचना के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क तक जल एवं विद्युत को उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, औद्योगिक पार्क के निकटतम सड़क एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए 60 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 40 प्रतिशत व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा तथा इसमें राज्य सरकार का अधिकतम अंशदान 3 करोड़ रुपये तक होगा।

प्रदेश सरकार के पूर्ण पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन के विजन का इस नीति में भी विशेष ध्यान रखा गया है। औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि को जानकारी राज निवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इस पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। नीति में कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क एवं कन्वर्जन शुल्क में 25 प्रतिशत छूट तथा प्लग-एंड-प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिस्-2024 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी सम्मिलित हैं।

बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी दी

जयपुर। बनीपार्क क्षेत्र में कुख्यात गैंगस्टरों द्वारा एक बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीडित को शिकायत पर गैंगस्टर रोहित गोयरा, वीरेंद्र चारण और राहुल फतेहपुरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कुचामन सिटी निवासी व्यापारी को पिछले डेढ़ महीने से मोबाइल फोन पर लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे। करीब डेढ़ महीने पहले भी आरोपियों ने उसे कॉल कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट पीडित ने कुचामन सिटी थाने में दर्ज कराई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने दोबारा कॉल कर रंगदारी मांगना शुरू कर दिया।

‘प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर हूं पर यह सीख भी देनी जरूरी कि स्वतंत्रता, स्वच्छंदता नहीं’

राज्यपाल बागड़े ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

जयपुर (कास)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पत्रकारिता के भारतीय अतीत के साथ हमारी गौरवमय ज्ञान-परम्परा से भी जुड़े। पत्रकारिता में समाचार के साथ विचार-संस्कृति की शिक्षा का भी प्रसार होना चाहिए। उन्होंने आजादी आंदोलन में पत्रकारिता की रही भूमिका के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, कर्पूर चंद्र कुलिश, बिशन सिंह शेखावत आदि को याद करते हुए पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के प्रभावी प्रसार का आव्हान किया। राज्यपाल बागड़े बुधवार को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार

जयपुर (कास) । जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि यह टास्क फोर्स व्यक्तिगत रूप से मुंबई जाकर सलमान खान पर तृतीय जमानती वारंट की तामील कराएगी। आयोग ने चेताया कि वारंट की तामील में बाधा उत्पन्न कराई गई और आगामी सुनवाई 6 अप्रैल को सलमान खान और कंपनी के निदेशक पेश गत 16 मार्च

तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। आयोग अध्यक्ष जीएल मीणा और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

आयोग ने अपने आदेश में कहा की सेलिब्रेटी स्टेट्स किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता है। जमानती वारंटों की तामील नहीं होने देने से कानून का मखौल उड़ रहा है और उपभोक्ताओं का आयोगों से विश्वास डगमगाने लगा है। आयोग ने कहा कि सलमान खान के खिलाफ गत 15 जनवरी, 9 फरवरी और 16 मार्च

को जमानती वारंट जारी किए गए थे। कंपनी के निदेशकों राकेश कुमार चौरसिया व दिनेश कुमार चौरसिया के खिलाफ 11 फरवरी को जमानती वारंट जारी हुए थे। इसके बावजूद भी सलमान खान की ओर से भ्रामक विज्ञापन पर रोक संबंधी अंतरिम आदेशों की निरंतर अवहेलना की जा रही है। गौरतलब है कि योगेन्द्र सिंह ने परिवाद पेश कर राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन पर पारबंदी लगाने की गुहार की है। परिवाद में कहा गया है कि इस उत्पाद को केसर युक्त बताया जा रहा है। जबकि इस कीमत में उत्पाद में केसर नहीं डाला जा सकता।

एस्कोर्ट और बॉडी मसाज के नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार

जयपुर (कास)। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत जयपुर पश्चिम की साइबर सेल और झोटवाड़ा थाना पुलिस ने एस्कोर्ट सर्विस और बॉडी मसाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। डीसीपी (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि जयपुर पश्चिम की साइबर सेल और झोटवाड़ा थाना पुलिस ने एस्कोर्ट सर्विस और बॉडी मसाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के गजेंद्र यादव (23) निवासी फुलेरा (जयपुर ग्रामीण) और विकास रेवारी (20) निवासी किशनगढ़ रेनवाल जयपुर ग्रामीण जयपुर हाल झोटवाड़ा को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 02 मोबाइल फोन,10 सिम कार्ड,15 यूपीआई आईडी,02 एटीएम कार्ड और एक बैंक पासबुक बरामद की गई।

विपक्ष देशद्रोही सोच के साथ कर रहा है कार्य : मदन राठौड़

जयपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष द्वारा ईधार् और गैस की उपलब्धता को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने कहीं भी कमी की बात नहीं कही है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अनावश्यक भय और अफरा-तफरी फैलाने का प्रयास कर रहा है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि भारत एक परिवार की तरह है और इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं फैलाना राष्ट्रहित में नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए ताकि देश के नागरिकों

■ यूसीसी से ‘‘एक देश, एक कानून’’ की भावना होगी मजबूत, समाज से भेदभाव मिटेगा : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

को किसी प्रकार की परेशानी न हो।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद में बहस और चर्चा के लिए निर्धारित प्रक्रियाएँ हैं। यदि विपक्ष वास्तव में बहस करना चाहता है तो उसे संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। केवल हंगामा और बयानबाजी करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुद्दा देशहित और

सामाजिक समानता से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे संविधान में भी समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है तथा समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, विशेषकर महिलाओं को न्याय और सम्मान मिले, इसी उद्देश्य से यूसीसी लागू किया जाना आवश्यक है।

मदन राठौड़ ने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा यूसीसी लागू करने की दिशा में पहल की जा रही है और यह स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने विरवास व्यक्त किया कि धीरे-धीरे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिससे एक देश, एक कानून की भावना मजबूत होगी और समाज में भेदभाव समाप्त होगा।

हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति बरकरार

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘जवाब पेश करो वरना मुख्य सचिव और यूडीएच सचिव हाजिर होकर जवाब दें’’

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव और यूडीएच सचिव को कहा है कि उनकी ओर से यदि तीन सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया जाता, तो वे 23 अप्रैल को अदालत में पेश होकर अपना जवाब दें। इसके साथ ही अदालत ने गोल्फ क्लब के कुछ सदस्यों की ओर से मामले में पक्षकार बनने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए उन्हें इंटर विनर बनाया है। जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने

■ अदालत ने गोल्फ क्लब के कुछ सदस्यों की ओर से मामले में पक्षकार बनने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए उन्हें इंटर विनर बनाया है

यह आदेश योगेश यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक अपना जवाब पेश नहीं किया है और ना ही मौका निरीक्षण

रिपोर्ट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामला जनहित से जुड़ा है, ऐसे में कोई भी आकर अदालत में पक्ष रखता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। इस पर अदालत ने तीन सप्ताह में जवाब पेश नहीं होने पर मुख्य सचिव और यूडीएच सचिव को हाजिर होने को कहा है।याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत 14 सितंबर, 2023

विकास सीतारामजी भाले ने की डेयरी विकास गतिविधियों की समीक्षा

नवाचारों और उपलब्धियों के लिये आरसीडीएफ के कार्यों को सराहा



प्रमुख शासन सचिव विकास सीतारामजी भाले ने बुधवार को सरस संकुल मुख्यालय में डेयरी फैडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

देशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया जिस पर राज्यपर की सहकारी डेयरियों के दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की मोनिटरिंग की जा सके।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता परीक्षणों के लिये अत्याधुनिक टैस्टिंग मशीन एवं उपकरण लागेये जाने चाहिये। उन्होंने कैमल मिल्क को पाउडर के रूप में विकसित करने और चिपलेट फोर्म में बटर के उत्पादन एवं विक्रय का भी सुझाव दिया।

आरसीडीएफ की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने भविष्य की योजनाओं पर प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत प्रकाश डाला। भारद्वाज ने राज्यभर में दूध और दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

चलाये जा रहे अभियान ‘‘दूध का दूध-पानी का पानी’’ की सफलता पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि इस अभियान से राज्यभर में मिलावटी दूध पर प्रभावी अंकुश लगा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना और 1000 करोड़ रुपये के डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड जैसी योजनाओं से राज्य में डेयरी विकास को एक नई गति मिल रही है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में पहली बार किसी राज्य में डेयरी विकास के लिये 1000 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड बनाया गया है जिसे अब वर्ष 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।